

प्रेषक,

उदय राज सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड,  
काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग

देहरादून: दिनांक 30 नवम्बर, 2021

विषय : पेराई सत्र 2021-22 के लिए प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के सम्यक् विचारोपरान्त पेराई सत्र 2021-22 के लिए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) शीघ्र प्रजातियों हेतु- रु0 355.00 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर)।

(ख) सामान्य प्रजातियों हेतु- रु0 345.00 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर)।

2. चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ना का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती रु0 09.50 प्रति कुन्तल निर्धारित की जायेगी।

3. उक्त गन्ना मूल्य उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र की समस्त चीनी मिलों द्वारा देय होगा। पेराई सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित उक्त दरों के अनुसार ही किसानों को प्रदेश की चीनी मिलों से भुगतान कराया जाय तथा भुगतान की सूचना मासिक रूप से शासन को प्रेषित की जाय।

भवदीय,

(उदय राज सिंह)  
अपर सचिव।

संख्या : 1143(1)/XIV-2/2021/07(06)/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ लि. देहरादून।

5. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/देहरादून।
7. समस्त प्रधान प्रबन्धक/अधिशाली निदेशक, सहकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की चीनी मिलें उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(देवेन्द्र सिंह)

उप सचिव